UPSL070021642026

न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।
उपस्थितः आरती फौजदार, एच.जे.एस.
(J.O.Code.U.P.6225)
अग्रिम जमानत प्रा0पत्र स0–39/2026
कम्प्यूटर पंजीयन नं0–104/2026

मौहम्मद जुबैर उर्फ डॉ0 जुबैर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम बिछौली थाना व जनपद सम्भल।
————–अभियुक्त/प्रार्थी

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सम्भल।
————–अभियोजक

मु0अ0सं0–210/2022
धारा–420 भा0दं0सं0
व धारा–15(2), 15(3) इंडियन मेडिकल कान्सिल एक्ट
थाना–सम्भल, जिला सम्भल।

<u>जमानत आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मौहम्मद जुबैर उर्फ डॉ0 जुबैर द्वारा मु0अ0स0–210/2022, धारा–420 भा0दं0सं0 व धारा–15(2), 15(3) इंडियन मेडिकल कान्सिल एक्ट थाना सम्भल जिला सम्भल के सम्बन्ध में प्रथम अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहां से अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा डॉ0 मनोज चौधरी द्वारा थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक–23.06.2022 को डॉ0 जुबैर पुत्र लियाकत निवासी बिछौली थाना सम्भल जिला सम्भल के लिवा पैथोलोजी को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्त व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में पैथोजाली जैब/क्लीनिक का व्यवसाय/संचालन करते पाये गये। लेकिन ये अपनी चिकित्सा शिक्षा प्रमाण पत्र, पैथोलाजी लैब/क्लीनिक का व्यवसाय/संचालन करने हेतु उ0प्र0 चिकित्सा परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र जनपद में पैथोलाजी लैब/क्लीनिक व्यवसाय/संचालन करनेहेतु जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इनको अपने प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु तीन दिन का समय दिया गया था। दिनांक–25.06.2022 तक इनके कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करा गया। उपरोक्त आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षित प्रशिक्षित एवं नियमानुसार पंजीकृत नहीं है। जिस कारण इनके द्वारा चिकित्सालय का व्यवसाय/संचालन करना अवैध है। निरीक्षण के दौरान इनके पैथोलाजी लैब के चिकित्सीय उपकरणों को सील कर दिया गया है। पत्र आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया इनके विरूद्ध इण्डियन मेडिकल कौसिंल एक्ट की धारा–15(2), 15(3) एवं भा0दं0सं0 की धारा 420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अभियुक्त का कथन संक्षेप में है कि प्रार्थी को पता चला है कि अ0सं0 210/2022 दण्डवाद सं0–12265/2022 धारा–15(2), 15(3) आई0एम0सी0 एक्ट व धारा 420 भा0दं0सं0 थाना कोतवाली सम्भल में प्रार्थी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और गिरफ्तार करके प्रताड़ित किया जा सकता है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत अपराधों की श्रेणी में आता है। प्रार्थी को किसी भी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है न ही कोई अपराधिक इतिहास है। उक्त वाद में वादी/पुलिस द्वारा प्रार्थी को गिरफ्तार कराकर नुकसान पहुॅचाने और अपमानित करने के आशय से झूॅठा फंसाया है। प्रार्थी को उपरोक्त वाद में कतन गलत, झूॅठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। उपरोक्त

Digitally signed by ARTI FAUZDAR
Date: 2026.06.11 15:47:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में वादी मुकदमा मनोज चौधरी ने कथन किया है कि दिनांक–23.06.2022 को जुबैर(प्रार्थी) बिछौली थाना व जनपद सम्भल में पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया गया। ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में पैथौलॉजी लैब/क्लीनिक का संचालन करते पाये गये। प्रमाण पत्र मांगा प्रस्तुत नहीं कर सके के आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी है। उक्त वाद में प्रार्थी की उपस्थिति का कोई वीडियो नहीं है न ही जन साक्षी है। उक्त वाद में धारा–15(2), 15(3) आई0एम0सी0 एक्ट रिपील हो चुका है। धारा–420 आई0पी0सी0 व 15(2), 15(3) आई0एम0सी0 एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। धारा–15(2), 15(3) आई0एम0सी0 एक्ट में एफ0आई0आर0 का प्रावधान नहीं है मात्र परिवाद दायर हो सकता है। उपरोक्त मामले में प्रार्थी ने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छल कपट या फर्जी वाड़ा नहीं किया है न ही कोई अवैध पैथौलॉजी/क्लीनिक का संचालन किया है न ही किसी भी व्यक्ति से धन अर्जित किया है। एफ0आई0आर0 में लिखाये गये समस्त कथन असत्य तथा बनावटी है किसी व्यक्ति से छल किया स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी का उक्त मामले में आरोप पत्र न्यायालय में आचुका है तथा उपरोक्त मामलाप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सम्भल स्थान चन्दौसी में लम्बित है जिसमें दिनांक–09.06.2026 नियत है। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त द्वारा स्वयं शपथपत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नहीं है।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सम्भल की ओर से यह कहते हुये विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा बिना लाईसेंस के एलौपैथिक चिकित्सा पद्धति से क्लीनिक का संचालन किया गया है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

जमानत प्रा0पत्र पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त डॉ0 जुबैर के क्लीनिक पर दिनांक–23.06.2022 को डॉ0 मनोज चौधरी नोडल अधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया तो डाक्टर डॉ0 जुबैर निरीक्षण के समय एलोपैथित चिकित्सा पद्धति में क्लीनिक का संचालन करते पाये गये। मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। अभियुक्त द्वारा फर्जी रूप से ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार क्लीनिक पर चिकित्सीय उपकरण एवं दवाईयों का प्रयोग किया गया। उक्त मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। अभियुक्त उक्त मुकदमे में अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की दाण्डिक अपील(एसएलपी (क्रिमि0) नं0 (एस) 10251/2025) निकिता जगन्नाथ शेट्टी उर्फ निकिता विश्वजीत जाधव बनाम दि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांकित–21.07.2025 एवं विधि व्यवस्था श्रीकान्त उपाध्याय बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 2024 एससीसी ऑनलाईन एससी 282 में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के आलोक में भी अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन प्रतीत नहीं होते हैं, और न ही अभियुक्त को गिरफतार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से ही अभियोग लगाया गया परिलक्षित होता है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मौहम्मद जुबैर उर्फ डॉ0 जुबैर का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–11.06.2026

(आरती फौजदार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।